


**Form No-III****फर्द अहकाम  
( नियम 26)****अज अदालत :- न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली****प्रार्थी :-**  
दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, पाली**बनाम****अप्रार्थी :-**  
आसनदास पुत्र श्री बूल चंद सिन्धी (मालिक)  
मैसर्स- शंकर मिष्ठान भण्डार 225 पुलिस लाईन  
रोड, पाली**किस्म मुकदमा :: खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या 02/2019  
(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2019/00013)**

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.02.2019	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 12.01.2017 को दौराने गस्त अप्रार्थी की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ ज्युसी श्री खण्ड (मेंगो ज्युस) ब्राण्ड कंचन का नमूना कोड एवं संख्या R-793 लिया गया। खाद्य पदार्थ नमूना संख्या R-793 लेकर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भेजा गया। रिपोर्ट संख्या-एल.एस./466/एक्ट/2018/484 दि० 02.07.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ ज्युसी श्री खण्ड (मेंगो ज्युस) ब्राण्ड कंचन का नमूना Unsafe Food under section 3(1)(zz)(v), 3(1)(zz) of Food safety and standards Act 2006 due to addition fo synthetic colour and sub standard as it does not conform to the prescribed standards fo Food Sefty and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. This sample is also Mis Branded Under Section 3(1) (zf)(c) (i) of Food safety and standards Act 2006 स्तर का पाया गया, जो एफएसएसए की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 एवं 59 के अन्तर्गत जुर्माना योग्य अपराध है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण में जो नमूना लिया गया है, वह खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार असुरक्षित खाद्य की श्रेणी में माना है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 42 के तहत न्यायालय हाजा को नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ लौटाया जाता हैं। पत्रावली न्यायालय हाजा के नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली</p>	